	बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग	
पत्रांक	159933 YZEN, CENTER 14/08/13
ग्रा0वि(	0-5/इं0आ0यो0(वि0परि0)-102-34/2013
प्रेषक,	
	अमृत लाल मीणा,
	सरकार के सचिव ।
<del>1</del>	
सेवा में,	
	सभी जिला पदाधिकारी ।
विषय :-	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत (5% प्राकृतिक आपदा) विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषण के संबंध में ।
महाशय,	n i
	उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजना की जून 2013 में पुनरीक्षित
मार्गदर्शिका की	कंडिका-3.2.4 (छाया प्रति संलग्न) में निम्न कोटि के पात्रता वाले परिवारों को इंदिरा आवास से
आच्छादन के निमित्त विशेष परियोजना का प्रावधान किया गया है -	
(1)	प्राकृतिक आपदा से पीडि़त बी.पी.एल. परिवारों के पुनर्वास हेत्,
(2)	हिंसा से प्रभावित एवं विधि व्यवस्था की समस्या से प्रभावित बी.पी.एल. परिवारों के पुनर्वास
	हेतु,
(3)	मुक्त बंधुआ मजद्र तथा Manual Scavengers के पुनर्वास हेत्,
(4)	Vulnerable (कमजोर) आदिम जाति के पुनर्वास हेतु,
(5)	नई तकनीक के प्रयोग में - विशेष रूप से कम लागत वाली तकनीक तथा green technology
	के उपयोग हेतु ।
	केन्द्रीय Empower Committee के विचारार्थ एतद् संबंधी विशेष परियोजना का प्रस्ताव माह
सितम्बर तक	भेजने का प्रावधान है । इस संबंध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संख्या-
	र र र र र र र र र र र र र र र र र र र

केन्द्रीय Empower Committee के विचारार्थ एतद् संबंधी विशेष परियोजना का प्रस्ताव माह सितम्बर तक भेजने का प्रावधान है । इस संबंध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संख्या-J-11060/2/2013-RH(A/C) दिनांक-23.07.13 द्वारा विशेष परियोजना प्रस्ताव के लिए विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेबसाईट पर भी अपलोड है । उक्त पत्र एवं प्रपत्र की छाया प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में विशेष परियोजना प्रस्ताव वांछित सभी सूचनाओं के साथ दिनांक-31.08.13 के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि विभाग स्तर पर पूरे राज्य का प्रस्ताव समेकित कर अनुशंसा सहित भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया जा सके ।

विश्वासभाजन

900

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक <u>159933</u>

पटना, दिनांक <u>14/08/13</u>.

प्रतिलिपि- (अनुलग्नक सहित) सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित ।

सरकार के सम्निव

# INDIRA AWAAS YOJANA

(IAY)



# **GUIDELINES**

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhavan
NEW DELHI – 110 114
June 2013

#### 3.2.4 Special projects

Five percent of IAY allocation would be retained at the Central level as reserve fund. Special Projects for utilizing the reserve fund can be posed by the States/UTs for the following purposes:-

- (1) Rehabilitation of BPL families affected by natural calamities.
- (2) Rehabilitation of BPL families affected by violence and law and order problems.
- (3) Settlement of freed bonded labourers and liberated manual scavengers.
- (4) Settlement of particularly vulnerable tribal groups.
- (5) New technology demonstration especially with focus on affordable and green technologies.

These projects would have to be submitted by State Governments with adequate details and justification to the Ministry of Rural Development by September [except (1) and (2)] and it will be considered by the Empowered Committee constituted for the purpose of approval.

## 3.3 Funding pattern

The cost of the scheme except the component for provision of house sites would be shared between Government of India and State Governments in the ratio 75:25. In the case of North Eastern States the ratio is 90:10. The cost of providing house sites would be shared 50:50 between Government of India and State Governments. Government of India would provide the full cost in respect of Union Territories (UTs).

### 3.4 Earmarking of funds

At the national level, 60% of the funds would be earmarked for SCs and STs with the proportion between SCs and STs being decided from time to time by the Ministry of Rural Development and reflected in the targets. Further, 15% of the funds would be set apart for beneficiaries from among the minorities. The State should ensure that atleast 3% of beneficiaries are from among persons with disabilities. Statewise allocation of funds will be as given in para 3.5. The